

प्ररूप 26
(नियम 4क देखिए)



निर्वाचन क्षेत्र से

कोटा-बून्डी
(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

(सदन का नाम) के लिए निर्वाचन

के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

भाग-क

मैं, मोहनलाल ** पुत्र/पत्नी/पत्नी स्व. श्री रमेशचन्द्र आयु 08.07.1940
वर्ष, जो 79 हाकिमनगर कोटा
(डाक का पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूँ, और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ, शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ:-

(1) मैं, मोहनलाल (** राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/** एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ।

(** जो लागू न हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम कोटा दक्षिणा-190 (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं. 33
के क्रम सं. 434 पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा संपर्क टेलीफोन नं. 9414066500 है/हैं और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो) नही है, और मेरा सोशल मीडिया एकाउन्ट (यदि कोई हो तो) नही है।

(4) स्थाई लेखा संख्यांक (पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्राप्ति:

क्रम सं.	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रुप में)
1.	स्वयं मोहनलाल	ACV PV 8442(A)	2013-14	966703/-
2.	पत्नी या पत्नी मगवती	BREPD 5428D	- N/A	N/A
3.	आश्रित 1 नही	0 शून्य	0 शून्य	0 शून्य
4.	आश्रित 2	0 शून्य	0 शून्य	शून्य
5.	आश्रित 3	शून्य	शून्य	शून्य

(5) मैं ऐसे किसी संबन्धित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी:-

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे		
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है		
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख		
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई		
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे		
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं		

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है [पूर्वोक्त मद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न] :-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख		
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है		
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हों) के ब्यौरे		

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है:

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा: निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है

(क)	उन मामलों के ब्यौरे अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है		
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)		
(ग)	अधिरोपित दंड		
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हां, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रास्थिति		

(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ :

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 - जमा/विनिधान की दशा में क्रम:सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3 - सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 - यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5 - रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाते हैं।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	हाथ में नकदी	200000	90000	नहीं	—	—
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, अतिरिक्त जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	340000 600000 (FDR.) 150000	नहीं	— शून्य शून्य	शून्य शून्य शून्य	शून्य शून्य शून्य
(iii)	कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों तथा यूनितों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	नहीं	नहीं	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	नहीं	400000 F.D.	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम	नहीं	नहीं	शून्य	शून्य	शून्य
(vi)	मोटरयान/वायुयान/याट/पोल (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	Alfa R320 8607 15-14-2008 279000	नहीं	शून्य	शून्य	शून्य
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान् वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	300000 45000	जेवरात वस्तुएं पर नोट	शून्य	शून्य	शून्य
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	नहीं	नहीं	शून्य	शून्य	शून्य
(ix)	समग्र कुल मूल्य	1293000	4,09,000/-	शून्य	शून्य	शून्य

आ. स्थावर आस्थियों के ब्यौरे

टिप्पण 1- संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्थियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2- प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	नहीं	नहीं	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)					
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	नहीं	नहीं	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	नहीं	नहीं	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	नहीं	नहीं	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	नहीं	नहीं	शून्य	शून्य	शून्य
	"अनुमानित चालू बाजार मूल्य"	नहीं	नहीं	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	गैर कृषि भूमि : अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)					
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख					
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)					
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	"अनुमानित चालू बाजार मूल्य"					
(iii)	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)					
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)					
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)					
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)।					

(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ :

घ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 - जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3 - सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 - यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5 - रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाते हैं।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	हाथ में नकदी	20000	9000	नहीं	—	—
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, अतिरिक्त जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	34000 60000 (FDR.) 15000	नहीं	— शून्य शून्य	शून्य शून्य शून्य	शून्य शून्य शून्य
(iii)	कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों तथा यूनितों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	नहीं	नहीं	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	नहीं	400000 F.D.	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम	नहीं	नहीं	शून्य	शून्य	शून्य
(vi)	मोटरयान/वायुयान/याट/प्रोप्ले (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	Alfa Romeo 8607 48-14-2088 279000	नहीं	शून्य	शून्य	शून्य
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान् वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	30000 45000	जेवरात वस्तुएं पर नकद	शून्य	शून्य	शून्य
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	नहीं	नहीं	शून्य	शून्य	शून्य
(ix)	समग्र कुल मूल्य	1293000	4,09,000/-	शून्य	शून्य	शून्य

	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान	नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	"अनुमानित चालू बाजार मूल्य"	नहीं	-			
(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	79	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	18000sqft 60 वा.स.स.	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	1860				शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां/या नहीं)	नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	29-1-70 29-10-2009	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	1800000 60sqft 28146	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	"अनुमानित चालू बाजार मूल्य"	8000000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vi)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	8000000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ:-

(टिप्पण: कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यक्ति के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरों का पृथक विवरण दें)।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं) को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	नहीं	नहीं	शून्य	शून्य	शून्य
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	नहीं	नहीं	शून्य	शून्य	शून्य
	कोई अन्य दायित्व	नहीं	नहीं	शून्य	शून्य	शून्य
	दायित्वों का कुल योग	नहीं	नहीं	शून्य	शून्य	शून्य

(ii)	सरकारी शोध्य :					
	सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य					
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य					
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य					
	टेलीफोन/मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य					
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकॉप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य					
	आय-कर शोध्य					
	धनकर शोध्य					
	सेवाकर शोध्य					
	नगरपालिका/संपत्ति कर शोध्य					
	विक्रयकर शोध्य					
	कोई अन्य शोध्य					
(iii)	सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग					
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हां तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।					

(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :

(क) स्वयं शरकीय पेशवर

(ख) प्रती या पत्नी नही

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिए अनुसार है:-

इंटरमीडियट L.T.I शरकीय महाविद्यालय कच्छ

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गए ब्यौरों का उद्धरण

1.	अभ्यर्थी का नाम	मोहन लाल	श्री/श्रीमती/कु	मोहन लाल
2.	डाक का पूरा पता	79, शक्तिनगर कच्छ		
3.	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	190 कोटा दक्षिण राजस्थान		
4.	उस राजनैतिक दल का नाम, जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा 'स्वतंत्र' लिखें)	स्वतंत्र		

5.	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।					
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है [ऊपर मद (i) उल्लिखित मामलों से भिन्न]					
6.	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। [लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए]					
7.	 का स्थायी लेखा सं.	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है		कुल दर्शित आय	
	(क) अभ्यर्थी					
	(ख) प्रति या पत्नी					
	(ग) आश्रित	नहीं				
8.	आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रूप में)					
	विवरण	स्वयं	प्रति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क.	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)		नहीं			
ख.	स्थावर आस्तियां					
	I. स्वार्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत					
	II. क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)					
	III. निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत					
	(क) स्वार्जित आस्तियां (कुल मूल्य)					
	(ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)					
9.	दायित्व		नहीं			
	(i) सरकारी शोध्य (कुल)	नहीं	नहीं			
	(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	नहीं	नहीं			
10.	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन हैं	नहीं	नहीं			
	(i) सरकारी शोध्य (कुल)	नहीं	नहीं			
	(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	नहीं	नहीं			
11.	उच्चतम शैक्षिक अर्हता (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण-प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दे।)	हठहर मिजियेट I.I.I.रत्नकीम महाविद्यालय				

सत्यापन

मैं, ऊपर उल्लिखित, अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि:-

- (क) मेरे विरुद्ध ऊपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है;
- (ख) मेरे पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास ऊपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख को सत्यापित किया गया।

अभिसाक्षी

- टिप्पण : 1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3.00 अपराहन तक फाइल किया जाना चाहिए।
- टिप्पण : 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटेरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।
- टिप्पण : 3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़े, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थिति "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।
- टिप्पण : 4. शपथपत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

[फा. सं. एच.- 11019 (6)/2012-वि. II]

डॉ. संजय सिंह, अपर सचिव

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना संख्यांक का. आ. 859, तारीख 15 अप्रैल, 1961 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम बार निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किया गया-

- (1) संख्यांक का. आ. 728 (अ), तारीख 8 मई, 2007 ।
- (2) संख्यांक का. आ. 425 (अ), तारीख 23 फरवरी, 2011 ।